झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

पंचम (बजट) सत्र

वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :- 12 फाल्गुन, 1942 (श0) / 03 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
* 54.	अ0सू0-09	डॉ0 सरफराज अहमद	डैम से पानी प्राप्त कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.21
55.	अ0सू0-01	श्री बिरंची नारायण	चुनाव कराना।	ग्रामीण विकास	17.02.21
56.	अ0सू0-07	श्री बंधु तिर्की	पार्क का सौंदर्यीकरण।	नगर विकास एवं आवास	24.02.21
* 57.	अ0सू0-05	श्री मनीष जायसवाल	तालाब का जीर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	24.02.21
58.	अ0सू0-03	श्री मनीष जायसवाल	प्रावधान को शिथिल करना।	पथ निर्माण	24.02.21
59.	अ0सू0-10	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सर्वे कराना।	ग्रामीण विकास	24.02.21
60.	अ0सू0-12	श्री कमलेश कुमार सिंह	काम उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	24.02.21
61.	अ0सू0-11	श्री अनन्त कुमार ओझा	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.21
62.	अ0सू0-08	श्री नीलकंठ सिंह मुंडा	सड़क एवं पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.21
63.	अ0सू0-06	डॉ0 सरफराज अहमद	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता।	24.02.21
64.	अ0सू0-15	श्री प्रदीप यादव	समस्या का समाधान।	ग्रामीण विकास	24.02.21

* पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक- 714, दि0- 26/02/21 के द्वारा जल संसाधन विभाग में [illegible]

* ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 746, दि0- 26/02/21 के द्वारा जल संसाधन विभाग में [illegible]

01	02	03	04	05	06
65.	अ0सू0-04	श्री सरयू राय	चयन करनेवाले पर कार्रवाई।	नगर विकास एवं आवास	24.02.21
66.	अ0सू0-19	श्रीमती सीता सारेन	मानदेय का भुगतान।	ग्रामीण विकास	24.02.21
67.	अ0सू0-16	श्री मंगल कालिन्दी	कार्यों की जाँच।	पेयजल एवं स्वच्छता	24.02.21
68.	अ0सू0-13	श्री प्रदीप यादव	सड़क एवं पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.02.21

राँची,
दिनांक- 03 मार्च, 2021 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-737/वि0स0,राँची,दिनांक- 01/3/21

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-737/वि0स0,राँची,दिनांक- 01/3/21

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय** के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-04/2020-737/वि0स0,राँची,दिनांक- 01/3/21

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

डॉ सरफराज अहमद, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मसानजोर डैम के जल बंटवारा को लेकर एकीकृत बिहार सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के बीच वर्ष 1949 में हुए एग्रीमेंट की कॉपी राज्य सरकार के पास नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मसानजोर डैम बनाने में राज्य की जमीन ली गयी है, सिंचाई के लिए डैम से झारखण्ड के हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है ;	मसानजोर डैम का सम्पूर्ण जल संग्रहण एवं डूब क्षेत्र झारखण्ड राज्य में अवस्थित है, जिसके निर्माण के लिए झारखण्ड राज्य की जमीन ली गयी है। योजना से क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माँग के अनुसार सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि खंड–1 में वर्णित एग्रीमेंट में डैम से झारखण्ड के हिस्से को पानी देने का प्रावधान है।	स्वीकारात्मक। द्वितीय बिहार सिंचाई आयोग प्रतिवेदन के अनुसार मसानजोर डैम से राज्य को 8,100 हे० खरीफ एवं 1050 हे० रब्बी सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार सरकार से खंड–1 में वर्णित एग्रीमेंट की कॉपी प्राप्त कर मसानजोर डैम से पानी लेने के लिए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	मसानजोर जलाशय योजना के निर्माण हेतु 12 मार्च 1949 को तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किये गये एकरारनामें की प्रति बिहार एवं पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि काफी प्रयासों के बाद भी वर्ष 1949 में तत्कालीन बिहार सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य हस्ताक्षरित एकरारनामें की प्रति नहीं उपलब्ध हो पा रही है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०सं०वि०–अ०सू०–01/2021 – 1208 /राँची, दिनांक 02/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3623 वि०स० दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/21

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(55)

माननीय स०वि०स० श्री बिरंची नारायण द्वारा द्वारा दिनांक 03.03.2021 को पूछा जाने वाला अ०सू० प्रश्न संख्या– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न 1.	उत्तर 2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था, और इसकी पहली बैठक जनवरी, 2016 में हुई थी एवं इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित है, जो अब पूर्ण हो चुका है और उक्त तीनों संस्थाएँ स्वतः विघटित हो चुकी है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड के 32,660 गाँवों के अंतर्गत 54,330 ग्राम पंचायत सदस्य, 4,402 ग्राम पंचायत मुखिया, 5,423 पंचायत समिति सदस्य और 545 जिला पंचायत परिषद सदस्यों अर्थात कुल 64,700 पदों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव का इंतजार है, पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित है, परिणामस्वरूप विकास कार्य बाधित है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15वें वित्त आयोग से झारखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त राशि को जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन के लिए विभागीय अधिसूचना 42 दिनांक 07.01.2021 द्वारा कार्यकारी समिति का गठन अधिकतम छः माह तक की अवधि के लिए किया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि केन्द्र सरकार से झारखण्ड के पंचायतों में विकास के लिए मिली है, वर्ष 2015–16 से लेकर वर्ष 2019–20 में 6,046 करोड़ की राशि 14वें वित्त आयोग से मिली है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 14वें वित्त आयोग मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक कुल 5560.64 करोड़ रूपये पंचायतों को विमुक्त किया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपादित करवाते हुए गाँवों का विकास सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है। पंचायत निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। विभागीय पत्रांक 382 दिनांक 18.02.2021 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत निर्वाचन संपन्न कराने का अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 01/2021 ......426....../, राँची, दिनांक :– 23.2.2021

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 64 दिनांक 17.02.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 01/2021 ......426....../, राँची, दिनांक :– 23.2.2021

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

23/2/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि०स०)– 01/2021 ......426....../, राँची, दिनांक :– 23.2.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/2/21
सरकार के उप सचिव।

सुनिता/19.02.2021

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची के हृदयस्थली में पद्मविभूषण और भारत रत्न से सम्मानित महान शिक्षाविद स्वतंत्रता सेनानी व भारत के तीसरे राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के नाम पर जाकिर हुसैन पार्क का निर्माण किया गया था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि पार्क का उपयोग आमजनों के मॉर्निंग एवं इवनिंग वाक तथा मनोरंजन के लिए किया जाता था;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि पिछले आठ वर्षों से राँची नगर निगम द्वारा पार्क में ताला लगा रखा है, जिससे पार्क पूरी तरह जर्जर होकर कुड़ाखाना में बदल गया है एवं शराबियों का अड्डा बन गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डा० जाकिर हुसैन पार्क का सौन्दर्यीकरण कर आमजनों के लिए पुनः खोलने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। राँची नगर निगम के निगम बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में डा० जाकिर हुसैन पार्क आमजनों के लिए यथाशीघ्र खोला जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/तारांकित–02/2021 830 राँची, दिनांक :– 02/03/21

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०प्र०–281 वि०स० दिनांक– 24.02.2021 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, विधायी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02-03-2021

सरकार के अवर सचिव।

(58)

श्री मनीष जायसवाल, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–03" का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
संख्या–अ0सू0–03 क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि राज्य में किसी भी कार्य योजना से संबंधित निविदाओं का संचालन झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका–163(a) अंतर्गत करने का प्रावधान है, जिसके तहत् निविदा–दर की अधिसीमा निर्धारण में न्यूनतम् दर 10% तय थी ; 2. क्या यह बात सही है कि सरकार के सचिव द्वारा संचिका संख्या–2146(5), दिनांक–09.09.2020 अंतर्गत खण्ड–01 में वर्णित संहिता में संशोधित कर न्यूनतम् दर 10% की अधिसीमा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उक्त निविदाओं के लिए Additional Performance Security के क्रम में परिमाप विपत्र की राशि से (क) 10 से 20% (Below) नीचे तक की राशि का 20% तथा (ख) 20% से अधिक (Below) नीचे की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत राशि का प्रावधान की गई है जिससे कार्यों की गुणवत्ता गिरेगी ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित प्रावधान को शिथिल करते हुए पूर्व में संचालित प्रावधान को पुनः लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों में सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के न्यूनतम दर के 10% की अधिसीमा को समाप्त किया गया है सम्प्रति 10% से नीचे के दर की निविदाएँ अब अनुमान्य है। 10 प्रतिशत से कम की निविदा के मामले में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक Safe Guard हेतु Additional Performance Security का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2021 7821(5) राँची/दिनांक : 02/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 265 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

02/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2021 7821(5) राँची/दिनांक 02/03/2021

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

02/3

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2021 782(5) राँची/दिनांक : 02/03/2021

प्रतिलिपि:– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 02/3

सरकार के अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

59

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2021 को पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम :– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में जो SECC Data बनाई गई थी उसमें बहुत से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार छूट गए थे,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 में कुल 5044234 परिवारों का सर्वे कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित कारण के चलते राज्य के बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है,	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के आँकड़ों के आधार पर सूची से आवासविहीन, 01 तथा 02 कच्चे कमरे के मकान में रहने वाले परिवारों की प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी। उक्त सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन तथा सूची में सम्मिलित अयोग्य लाभुकों को हटाने के पश्चात योग्य अहर्ताधारी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के प्राथमिकता सूची में कई योग्य परिवारों का नाम SECC 2011 में नाम नहीं रहने के कारण छूट गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन योग्य परिवारों को जोड़ने के लिए आवास प्लस एप्प विकसित किया गया है। इस एप्प के माध्यम से 1275503 परिवारों का निबंधन कराया गया है। निबंधित परिवारों में से योग्य परिवारों का आधार सीडिंग तथा मनरेगा जॉब कार्ड की मैपिंग की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फिर से सर्वे करा कर प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

26/2/21
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–18/2021– 745 राँची, दिनांक :– 26.02.2021

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/21
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–18/2021– 745 राँची, दिनांक :– 26.02.2021

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/21
सरकार के विशेष सचिव।

(60)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 03.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–12 की उत्तर सामग्री।

प्रश्न कर्ता – श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर–दाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम, (मनरेगा) 2005 के तहत आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर अकुशल लोगों को गारंटी के साथ शारीरिक कार्य उपलब्ध कराकर आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ कराना उद्देश्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मनरेगा अन्तर्गत अकुशल कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कुल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी परिवार को इकाई मानकर अनुमान्य है।
2. क्या यह बात सही है कि वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड – 19) के कारण जीविकोपार्जन हेतु झारखण्ड प्रदेश के मनरेगा में पंजीकृत मजदूर बाहर जाकर कार्य करते थें, वह वापस झारखण्ड आ गये और वह मनरेगा के तहत कार्य मांगते हैं तो 15 दिनों के अन्दर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जबकी मनरेगा अधिनियम के तहत प्रावधान है कि 15 दिनों में कार्य उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, जबकि झारखण्ड प्रदेश में वर्ष 2005 से जनवरी, 2021 तक एक भी मजदूर को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में वैश्विक कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों के हितार्थ मनरेगा योजना अन्तर्गत जिनके पास जॉब कार्ड नहीं था उन्हें नया जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष (2020–21) में प्रवासी मजदूरों एवं आम ग्रामीणों सहित कुल 17.64 लाख व्यक्तियों को 13.38 लाख नया जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1044 लाख मानव दिवस का सृजन कर 29.92 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा अन्तर्गत मजदूरों द्वारा काम की माँग करने पर 15 दिनों के अन्दर उन्हें काम उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि किसी मजदूर को 15 दिनों के अन्दर काम नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो विभागीय अधिसूचना संख्या – (N) 2467 दिनांक 06.11.2015 द्वारा निर्गत "झारखण्ड राज्य बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2015" के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने का प्रावधान है। वर्तमान में मजदूरों द्वारा काम की माँग करने पर 15 दिनों के अन्दर उन्हें काम उपलब्ध नहीं कराने पर मनरेगासॉफ्ट में बेरोजगारी भत्ता भुगतान की राशि की स्वतः गणना हो जाती है जिसका भुगतान जिलों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों को माँग के अनुसार 15 दिनों के अन्दर काम उपलब्ध कराने तथा मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कराने तथा पूर्व से निबंधित मजदूरों के बकाये का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा काम के माँग के 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध

	कराया जा रहा है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार समय रोजगार न दे पाने के कारण प्रभावित मजदूरों को अद्यतन ₹ 470107/– बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 13(B)–233/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 – (N) 316 राँची, दिनांक 2·3·2021

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 339 दिनांक 24.02.2021 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.03.2021
(घनश्याम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 13(B)–233/वि0 स0/2021/ग्रा0 वि0 – (N) 316 राँची, दिनांक 2·3·2021

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.03.2021
सरकार के अवर सचिव।

श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय स. वि. स. द्वारा दिनांक 03.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं.–11 का उत्तर

क्रम सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री मिथिलेश ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने झारखंड सहित 12–राज्यों में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों के हैण्डपंप बंद करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) के निर्देश के बाद राज्य सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया है, जिसका अनुपालन किया जा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में हैण्डपंप जिसमें आर्सेनिक की मात्रा Permissible Limit से अधिक रहता है, वैसे हैण्डपंप के वाटर टैंक को लाल रंग दिया जाता है, ताकि उसके पानी का उपयोग पीने एवं खाना बनाने में न करके अन्य कार्यों में किया जा सके।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य का साहेबगंज जिला का प्रखंड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा आर्सेनिक प्रभावित इलाके में पड़ता है, जिसके लिए विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 तक सभी योजनाएँ पूर्ण करा ली गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज जिला अंतर्गत प्रखंड साहेबगंज, राजमहल एवं उधवा का आंशिक भाग जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित ग्रामों में कुछ टोलों में आर्सेनिक पायी गयी है। साहेबगंज प्रखंड में 5 अदद टोलों में आर्सेनिक रिमुवल प्लांट आधारित मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायी जा रही है। राजमहल एवं उधवा प्रखंड में गुणवत्ता प्रभावित टोलों में मेगा पाईप जलापूर्ति योजना द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया करायी जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे राज्य के आर्सेनिक क्षेत्रों को चिन्हित कर एवं खंड (2) में वर्णित प्रखंडों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। जल जीवन मिशन के तहत् हर घर में कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में पेयजलापूर्ति से आच्छादित किया जाना है। यदि किसी टोलों में आर्सेनिक की मात्रा पायी जाती है, तो वैसे टोलों में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) द्वारा पेयजलापूर्ति मुहैया करायी जायेगी।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक 8/अ.सू.–03/2021 –233/SWSM दिनांक 02/03/2021

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 262/वि. स. दिनांक 24.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/3/21
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–8/अ.सू.–03/2021 –233/SWSM दिनांक 02/03/2021

प्रतिलिपि:–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र. – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–03.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न की पूरक सामग्री

1. आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में जल जाँच के अनुसार प्रभावित चापाकलों को चिन्हित किया गया है। उन चापाकलों को लाल रंग से रंगकर लोगों को उक्त चापाकल के पानी का उपयोग नहीं करने हेतु जागरूक किया गया है।
2. साहेबगंज जिलान्तर्गत राजमहल एवं उधवा का आंशिक भाग जो आर्सेनिक से प्रभावित है, वहाँ सतही जल श्रोत आधारित पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण कर लगभग 8000 कार्यरत गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति दी जा रही है।
3. सम्प्रति साहेबगंज प्रखण्ड में अल्पकालीन व्यवस्था के तहत आर्सेनिक प्रभावित श्रोतों में आर्सेनिक रिमुवल संयत्र लगाकर पेयजलापूर्ति दी जा रही है।
4. दीर्घकालीन स्थायी व्यवस्था हेतु सतही श्रोत गंगा नदी आधारित मेगा पाईप जलापूर्ति योजना का शेष कार्य पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर 20 मार्च, 2021 तक समर्पित की जायेगी।

दिनांक–03.03.2021 को माननीय स0वि0स0 श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा द्वारा सदन में पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष–2020–21 में विभाग द्वारा सड़क एवं पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण विकास की गति धीमि हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में सभी माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों में विधायक की अनुशंसा पर 10–15–कि0मी0 सड़क तथा एक पुल का निर्माण किया जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति निर्धारण के आलोक में ही पथ/पुल के निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य पर निर्णय लिया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रत्येक जिला अन्तर्गत वर्ष 2011 से 2015 तक पूर्ण पथों में से 10 से 15 कि0मी0 पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य कराने तथा पूर्व में निर्मित पथों में आवश्यकता अनुसार पुल निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–66/2021 ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0) 474 राँची/दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक 299 वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–66/2021 ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0) 474 राँची/दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि:– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–66/2021 ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0) 474 राँची/दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.21
सरकार के अवर सचिव।

(63)

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 03.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 06 का उत्तर :–

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल, राँची द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 3.86 करोड़ की डी०आई० के०–7 पाईप क्रय करने का आदेश निविदा टर्न–की शर्तों के आधार पर संवेदक को आवंटित कर दिया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि Utility Shifting के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या– 462(S), दिनांक–15.10.2015 के आलोक में विभाग द्वारा निविदा प्रकाशित कर कार्य आवंटन किया गया है। आवंटित कार्य के अनुरूप संवेदक द्वारा 2560 Mtr, 600mm, dia DI-K-9 pipe की आपूर्ति की गयी। पथ निर्माण विभाग द्वारा alignment नहीं देने के कारण मात्र 310.50 मी० पाईप बिछाये जाने के बाद कार्य नहीं किया जा सका। आपूरित पाईप का भुगतान निधि के अभाव में नहीं किया जा सका था। माननीय उच्च न्यायालय, राँची, झारखण्ड में एजेन्सी द्वारा दायर वाद संख्या– W.P.(C) No. 5161/2018 के आदेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग से राशि प्राप्त होने के उपरान्त संवेदक को रूपये 2,75,17,847/– का भुगतान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खरीदे गये पाईप में से मात्र 110 मीटर ही बिछाया गया, जिसके कारण 2.56 करोड़ का पाईप बिना उपयोग के कारण स्वर्णरेखा वितरण प्रमण्डल में पड़ है;	संवेदक द्वारा क्रय किये गये पाईपों में से 310.50 Mtr. Pipe बिछा दिया गया है। शेष 2249.50 Mtr. Pipe प्रमण्डलीय भण्डार में सुरक्षित है जिसे पथ निर्माण विभाग, से alignment नहीं मिलने के कारण अबतक नहीं बिछाया जा सका है।
3.	क्या यह बात सही है कि अन्य किसी योजना में उक्त पाईप का उपयोग नहीं करके नए सिरे से पाईप का क्रय किया गया जिससे सरकारी राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। पथ निर्माण विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या– 462(S), दिनांक–15.10.2015 के आलोक में एकरारनामा रद्द करने का आदेश नहीं है। जबतक पथ निर्माण विभाग से इस आशय का आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक उक्त पाईप का उपयोग किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा alignment प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र ही शेष बचे पाईपों को बिछा दिया जाएगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–35/2020– 751 राँची, दिनांक :– 2/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 261, दिनांक– 24.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/21

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

02.03.2021

(64)

दिनांक– 03.03.2021 को श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 15 का उत्तर प्रतिवेदन।

अल्प–सूचित प्रश्न	सरकारी वक्तव्य
1. क्या यह बात सही है कि 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में उपलब्ध राशि के निष्पादन हेतु एवं प्रत्येक जिला में अन्य विकास एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के निष्पादन हेतु डी0आर0डी0ए0 में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है?	**आंशिक स्वीकारात्मक,** ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों (14वें वित्त आयोग को छोड़कर) के कार्यान्वयन, प्रबंधन, अनुश्रवण आदि के लिए डी0आर0डी0ए0 नियमावली 2009 के तहत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है।
2. क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार इन कर्मचारियों के वेतन मद व भत्ता मद में खर्च होने वाली राशि में अपनी हिस्सेदारी को देने से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके कारण इन कर्मचारियों का नौकरी खतरे में है?	**आंशिक स्वीकारात्मक,** ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक– 04.02.2021 को आयोजित Video Conference की कार्यवाही के अवलोकन से प्रतीत होता है कि डी0आर0डी0ए0 प्रशासन योजना (केन्द्र सम्पोषित योजना) को आगामी वित्तीय वर्ष से बंद किये जाने की संभावना है। उक्त के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु विभागीय पत्रांक– 759 दिनांक– 11.02.2021 द्वारा केन्द्र सरकार से पत्राचार किया गया है। केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के उपरांत डी0आर0डी0ए0 कर्मियों के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ठोस पहल कर उक्त समस्या का समाधान करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त वर्णित कंडिकाओं से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक– 11– 02– वि0स0 (DRDA)/2021/ 779 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–341 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/21

(संजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 02– वि0स0 (DRDA)/2021/ 779 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि:– माननीय स0 वि0 स0, श्री प्रदीप यादव के आप्त सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/21

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 11– 02– वि0स0 (DRDA)/2021/ 779 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक– 01.03.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, प्रशाखा– 3, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/21

सरकार के अवर सचिव।

(65)

श्री सरयु राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–न०–4 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में एलईडी बल्ब लगाने के लिए मनोनयन के आधार पर चयनित ईईएसएल नामक एक कम्पनी के साथ करार किया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एलईडी बल्ब लगाने के दो–चार दिन के भीतर ये बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, शिकायत करने एवं महीनों प्रयास करने के बाद भी कम्पनी द्वारा बल्बों को नहीं बदला जाता है;	अस्वीकारात्मक। LED Light की गुणवत्ता की जाँच NABL Accredited Lab द्वारा की जाती है। विभागीय संकल्प 4378 दिनांक–09.08.2016 के अनुसार M/s EESL यह सुनिश्चित करती है कि अधिष्ठापित किए गए LED Light उत्तम तकनीकी स्तर के हैं एवं M/s EESL 07 वर्ष की अवधि के लिए Manufacturing Defect के विरूद्ध वारंटी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त एल०ई०डी लाईट कई प्रकार के Electric Infrastructure तथा Envir- onment कारणों से खराब होती है तथा एल० ई०डी० लाईट खराब होने एवं बंद होने की शिकायत (टोल फ्री) नंबर–18001803580 (11 AM से 11 PM) पर की जा सकती है तथा वेबसाईट http://support.eeslindia.org पर भी शिकायत की जा सकती है।
3.	क्या यह बात सही है कि कम्पनी ने झारखण्ड में बड़े पैमाने पर नकली बल्ब की आपूर्ति करने का कार्य किया है जिसके चलते राज्य को करोड़ो रूपये की राजस्व की हानि पहुँची है इसके बावजूद सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र में EESL को बल्ब ही लगाने का पुनः आदेश दिया है;	अस्वीकारात्मक। नकली बल्ब की आपूर्ति के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं M/S EESL द्वारा एल०ई०डी० लाईट का E-Tender के माध्यम से Original Equipment Manufacture (OEM) से क्रय कर सीधे निकायों में आपूर्ति की जाती है। M/S EESL को एल०ई०डी० लाईट अधिष्ठापन का पुनः कोई आदेश नहीं दिया गया है। पूर्व निर्गत आदेश के आलोक में ही वर्तमान में कार्य संपादित किया जा रहा है।
5.	यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मामले की जाँच कराते हुए मनोनयन के आधार पर इस कंपनी का पुनः चयन करने वालों पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए तत्काल जांच की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/वि०स० अल्प–सूचित–01/2021 754 राँची, दिनांक– 01/03/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–282 दिनांक–24.02.2021 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-3-21

सरकार के अवर सचिव।

(66)

माननीय स0वि0स0 श्रीमती सीता सोरेन द्वारा दिनांक 03.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0– 19 की सूचना से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्यों एवं वार्ड सदस्यों को सरकार के द्वारा मानदेय दिया जाता है;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। अधिसूचना संख्या– 335 दिनांक 20.05.2015 के तहत राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्यों एवं वार्ड सदस्यों को मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में मानदेय हेतु राशि आवंटित की जा चुकी है।
(2) क्या यह बात सही है कि गत् 45 माह से त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्यों एवं वार्ड सदस्यों को मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में उल्लिखित अधिसूचना की कंडिका–2 vi के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 से राज्य सरकार की आदेयता समाप्त हो चुकी है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत समिति सदस्यों एवं वार्ड सदस्यों के बकाया मानदेय का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 06 / 2021 4183 /, राँची, दिनांक :– 01.3.2021

प्रतिलिपिः– 125 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 428 दिनांक 26.02.2021 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 06 / 2021 4183 /, राँची, दिनांक :– 01.3.2021

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

01/03/21
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 01 स्था (वि0स0)– 06 / 2021 4183 /, राँची, दिनांक :– 01.3.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/03/21
सरकार के उप सचिव।

सूचित / 26.02.2021

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docx

(67)

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 03.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 16 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के छोटा गोविन्दपुर बागबेड़ा में पाईप वाटर सप्लाई परियोजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ हुए एवं उक्त योजना को पूर्ण करने का वर्ष– 2018 निर्धारित था, परन्तु आज तक उक्त योजना पूर्ण नहीं हो पायी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस योजना अन्तर्गत छोटागोविन्दपुर प्रक्षेत्र में 460 लाख लीटर के जलशोध संस्थान (WTP) से 21 पंचायतों में 05 अदद् जलमीनार के माध्यम से माह मई 2019 से जलापूर्ति की जा रही है, जिससे 19973 घरों के लोग लाभान्वित हो रहे है। बागबेड़ा प्रक्षेत्र जलापूर्ति योजना में 78% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभाग प्रयासरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि IL&FS कम्पनी द्वारा कार्य सरकारी मानक के अनुरूप नहीं करके मनमाने ढंग से लीपा–पोती की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। योजना में उपयोग होने वाली सामग्रियों का निर्धारित मानक के अनुरूप Test कराया जाता है एवं उक्त Test Report का Monitoring, Verification एवं Vetting, NIT Jamshedpur द्वारा किया जाता है। साथ ही विश्व बैंक के Technical, Social और Environment Team एवं राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई, राँची द्वारा अनेकों बार क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण, अनुश्रवण किया जाता रहा है। (जाँच प्रतिवेदन संलग्न)
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य की प्राक्कलन राशि (लगभग) 237 करोड़ है, जिसके तहत् 45,700 घरों में पीने का पानी की सप्लाई देनी थी, परन्तु अबतक मात्र 21,500 घरों में ही पेयजल की आपूर्ति की जा रही है;	स्वीकारात्मक। छोटागोविन्दपुर जलापूर्ति योजनान्तर्गत 24974 एवं बागबेड़ा जलापूर्ति योजनान्तर्गत 21732 कुल 46706 अदद् गृह–संयोजन करने का प्रावधान है। वर्त्तमान में छोटागोविन्दपुर प्रक्षेत्र जलापूर्ति योजना से 21 पंचायतों में 19973 गृह संयोजन कर जलापूर्ति की जा रही है। बागबेड़ा प्रक्षेत्र जलापूर्ति योजना अन्तर्गत WTP निर्माण हेतु भूमि विवाद एवं रेलवे, वन विभाग, पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने में विलम्ब के कारण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ, जिसके समाधान कर शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना अन्तर्गत 78 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पेयजल शेष घरों में शीघ्र आपूर्ति कराने तथा IL&FS कम्पनी द्वारा किए गए कार्यों की जाँच एवं जाँचोपरान्त दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–37/2020– 756 राँची, दिनांक :– 2/3/21

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 342, दिनांक– 24.02.2021 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/21

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

2.3.2021

(68)

दिनांक–03.03.2021 को माननीय स0वि0स0 श्री प्रदीप यादव द्वारा सदन में पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य संपोषित योजना के तहत वर्ष–2020–21 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रूपये का व्यय करते हुए लगभग 2000 कि0मी0 सड़क बनाने का लक्ष्य एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 75 पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत 2000 कि0मी0 पथ का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत पुलो में से 75 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष–2020–21 समाप्ति पर है और विभाग अब तक योजनाओं के चिन्हित भी नहीं कर पाया है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कर सड़क निर्माण एवं पुल निर्माण के लक्ष्य को इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रत्येक जिला अन्तर्गत वर्ष 2011 से 2015 तक पूर्ण पथों में से 10 से 15 कि0मी0 पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य कराने तथा पूर्व में निर्मित पथों में आवश्यकता अनुसार पुल निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–77/2021 ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0) 476 राँची/दिनांक 02.03.21

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक 340 वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–77/2021 ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0) 476 राँची/दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपिः– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.21
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–77/2021 ग्रा0वि0वि0 (ग्रा0का0मा0) 476 राँची/दिनांक 02.03.2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–3 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02.03.21
सरकार के अवर सचिव।